न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./99/2018/बाड़मेर

अपीलांट

1. श्रीमती जमना देवी पत्नी दोलाराम जति जाट निवासी सिंगोड़िया तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.श्रीमती लाछी देवी पुत्री श्री मूलाराम पत्नी श्री पूनमाराम उम्र 52 वर्ष जाति जाट निवासी रातड़ी तहसील शिव जिला बाड़मेर

2.मानाराम पुत्र उदाराम

3.रूपों देवी पत्नी मानाराम

4.हड्डूमानराम पुत्र रावताराम

5.गवरी पत्नी स्व. रावताराम

जातियान जाट निवासीयान हरखाली तहसील बायतु जिला बाड़मेर

6.राज. राज्य द्वारा तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 179/2015 बअनवान लाछी देवी बनाम मूलाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री कैलाश एन. साहरण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मेघाराम जाखड़ रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री श्रवणकुमार चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 25.11.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 के पिता स्व. मूलाराम व उतरदाता संख्या 02 से 05 की खातेदारी की शामलाती जोत तहसील बायतु के ग्राम मुकनोणियों की ढाणी व सिगोंड़िया में आई हुई है जिसके खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 632 रकबा 08.16 बीघा, खसरा संख्या 673 रकबा 84.18 बीघा, खसरा संख्या 705/673 रकबा 05.07 बीघा तथा मौजा सिंगोड़िया के खेत खसरा संख्या 458 रकबा 12.02 बीघा, खसरा संख्या 605/567 रकबा 74 बीघा, खसरा संख्या 606/570 रकबा 22.02 बीघा अवस्थित है। उतरदाता संख्या 01 के पिता स्व. गूलाराम ने मौजा सिंगोड़िया में स्थित अपनी सहखातेदारी के खेत खसरा संख्या 605/567 रकबा 74 बीघा में अपने खातेदारी हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 2/3 का पंजिबद्ध बैचान अपीलांट श्रीमती जमनादेवी को दिनांक 29.05.2009 को दस्तावेज संख्या 275 कर मौके पर काबीज कर दिया जहां अपीलांट काबिज है तथा अपीलांट के पक्ष में उक्त बैचान का खातेदारी रेकर्ड जरिये नामान्तरकरण संख्या 90 स्वीकृत हुआ तथा सिंगोड़िया के खसरा संख्या 605/567 रकबा 74 बीघा में अपीलांट हिस्सा 1/6 की सह खातेदारी है। उतरदाता संख्या 01 के पिता स्व. गूलाराम का अपीलांट को किये बैचान के पश्चात जो हिस्सा शेष रहा था उस समस्त हिस्से का पंजीबद्ध बैचान उतरदाता संख्या 03 को दिनांक 23.11.2015 को कर दिया। उतरदाता संख्या 01 ने बहैसियत वादी ने अपीलाधीन आराजी में अपने पिता गूलाराम के हिस्से में अपने आप को बराबर हिस्से की सह खातेदार घोषित करने व अपने हकूको की सीमा तक अपने पिता गूलाराम द्वारा उपरोक्त निष्पादित विक्रय दस्तावेजात को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करने हेतु हस्तगत वाद पेश किया गया। अपीलांट अपीलाधीन आराजी की सह खातेदार होने के उपरान्त भी अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि उतरदाता संख्या 01 के पिता स्व. गूलाराम ने मौजा सिंगोड़िया में स्थित अपनी सहखातेदारी के खेत खसरा संख्या 605/567 रकबा 74 बीघा में अपने खातेदारी हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 2/3 का पंजिबद्ध बैचान अपीलांट श्रीमती जमनादेवी को दिनांक 29.05.2009 को दस्तावेज संख्या 275 कर मौके पर काबीज कर दिया जहां अपीलांट काबिज है तथा अपीलांट के पक्ष में उक्त बैचान का खातेदारी रेकर्ड जरिये नामान्तरकरण संख्या 90 स्वीकृत हुआ तथा सिंगोड़िया के खसरा संख्या 605/567 रकबा 74 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में अपीलांट हिस्सा 1/6 की सह खातेदारी है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी की सह खातेदार होने के उपरान्त भी अपीलांट को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अपना हिस्सा गलत अंकित किया है। वादीनी का उक्त वाद घोषणा का था और वह अपना पैतृक हक हिस्सा पैतृक भूमि में प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी थी। विवादग्रस्त आराजी में उतरदाता संख्या 01 का 1/8 हिस्सा जन्म से ही पैदा हो गया तथा मूलाराम के उतराधिकारी वारिशों में एक मात्र वादीनी लाछीदेवी ही थी। इस प्रकार अपील में अपीलांट ने जो कथन किये है वो निराधार है एवं प्रथम दृष्टया अपीलांट अपने अवैध बेचान को सक्षम न्यायालय से साक्ष्य, सबूत एवं उसकी वैधता को प्रमाणित करने बाद ही अपने हिस्से व अधिकार का कथन कर सकता है, क्योंकि अपीलाधीन आराजी पैतृक थी जिसमें उतरदाता का जन्म से हक था। जमाबंदी के अनुसार वाद में पक्षकार पूर्ण थे। अपीलांट स्वयं क्लीन हैंड नहीं थी, उसने वृद्ध मूलाराम के बुढापे का नाजायज फायदा उठाकर बिना उतरदाता संख्या 01 की जानकारी में लाये उक्त अपीलाधीन आराजी मौजा सिंगोडिया के खेत खसरा संख्या 605/567 रकबा 74 बीघा में हिस्से से अधिक बिना प्रतिफल के अपने पक्ष में बेचाननामा करवाकर बाले-बाले अपने नाम नामान्तरकरण करवा लिया। ऐसे फर्जी पक्षकार को अपीलांट के रूप में सुनवाई का मोका देना कतई उचित नहीं है। अपीलांट स्वयं अपने हितों के लिये न्यायालय में नया वाद लाने के लिये स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन हस्तगत वाद में समस्त प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील बेबुनियाद व मनगढत होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:-

RRT 2015(1) Page 696

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त हम रेस्पोडेंटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जाता है तो हमे कोई आपति नहीं होगी।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील दायर की अनुमति के आवेदन पर बहस करते हुए उसमें अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी में अन्य खसरान के साथ ग्राम सिंगोड़िया के खसरा संख्या 605/567 रकबा 74 बीघा में प्रार्थीनी/अपीलांट का 1/6 की खातेदार है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी की खातेदार होते हुए भी हस्तगत वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। अपीलांट हितवद्ध एवं पिड़ित पक्षकार है। अतः अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जावे।

अपील दायर की अनुमति के आवेदन पर रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट हस्तगत अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं है। जमावंदी के अनुसार वाद में पक्षकार पूर्ण थे। अपीलांट स्वयं क्लीन हैंड नहीं थी, उसने वृद्ध मूलाराम के वुढापे का नाजायज फायदा उठाकर बिना उतरदाता संख्या 01 की जानकारी में लाये उक्त अपीलाधीन आराजी मौजा सिंगोडिया के खेत खसरा संख्या 605/567 रकवा 74 बीघा में हिस्से से अधिक बिना प्रतिफल के अपने पक्ष में वेचाननामा करवाकर वाले–वाले अपने नाम नामान्तरकरण करवा लिया। अपीलांट अपने हकों के लिए निवीन वाद पेश करने हेतु स्वतुंत्र है।

अपील दायर की अनुमति के आवेदन पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार होते हुए भी अपीलांट को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। अपीलांट अपीलाधीन प्रकरण में हितबद्ध एवं पिड़ित पक्षकार है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि स्व. मूलाराम ने मौजा सिंगोड़िया में स्थित अपनी सहखातेदारी के खेत खसरा संख्या 605/567 रकबा 74 बीघा में अपने खातेदारी हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 2/3 का पंजिबद्ध बैचान अपीलांट श्रीमती जमनादेवी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांक 29.05.2009 को कर दिया गया। अपीलांट के पक्ष में उक्त बैचान का खातेदारी रेकर्ड जरिये नामान्तरकरण संख्या 90 स्वीकृत हुआ तथा रिंगोड़िया के खसरा संख्या 605/567 रकबा 74 बीघा में अपीलांट हिस्सा 1/6 की सह खातेदारी है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार होते हुए भी मूल दावे में अपीलांट को पक्षकार के रूप मे संयोजित नहीं किया गया, जबकि अपीलांट हस्तगत वाद में हितबद्ध एवं पिड़ित पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 179/2015 बअनवान लाछी देवी बनाम मूलाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2018 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देते हुए बाद सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.12.2021 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर